न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 24/2017

A10

1. कुलदीपसिंह पुत्र ठाणासिंह जाति जटसिख निवासी रोटावाली तहसील सादूलशहर जिला श्रीगंगानगर

– – वादी

–:: बनाम ::–

1. ठाणासिंह पुत्र श्री भागसिंह जाति जटसिख निवासी रोटावाली तहसील सादूलशहर जिला श्रीगंगानगर
2. जसवीरकौर पुत्री ठाणासिंह पत्नी श्री बलविन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी पन्नीवाली माला तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा व खाता तकसीम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री मनोहर लाल सहारण अधिवक्ता — वादी
2. श्री हरीश सोनी अधिवक्ता — प्रतिवादी संख्या 1 व 2

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 8-5-2017

वादी ने प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि चक 15 एल.एल.पी. सैकण्ड ए की खतौनी संख्या 36/14 के मुरब्बा नम्बर 63 के किला नम्बर 25 मुरब्बा नम्बर 64 के किला नम्बर 21 ता 24 सालम मुरब्बा नम्बर 70 के किला नम्बर 1 ता 4, 7 ता 10 सालम 14/.202 मुरब्बा नम्बर 71 के किला नम्बर 5/.228, 6/.228, कुल 3.947 तथा खतौनी संख्या 37/33 के मुरब्बा नम्बर 63 के किला नम्बर 15, 16 में प्रत्येक में 0.228 हैक्टर नहरी मुरब्बा नम्बर 64 के किला नम्बर 11, 19, 20 सालम कुल 1.215 हैक्टर नहरी भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है। जमाबन्दी की शामील है।

उपरोक्त रकबा जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम है वह जद्दी जायदाद है। जो प्रतिवादी को अपनें पिता से विरास्तन प्राप्त हुआ है, जो कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपनें भाइयों के साथ जद्दी जायदाद का बंटवारा किया गया था उसके आधार पर उक्त रकबा प्रतिवादी संख्या 1 को हिस्सा में आया था नकल निर्णय व डिक्री संलग्न वादी पत्र है।

सांझा खाता रहनें से लगान व आबियाना देनें में पानी की भराई खिचाई में कई प्रकार की व्यवारिक दिक्कते आती है। तथा रकबा नाम नहीं होनें से बैक ऋण सुविधा व सरकारी अनुदान का फायदा नहीं मिल पाता, इस प्रकार हक व हिस्सा अनुसार खाता तकसीम करवाकर अपनें नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाना आवश्यक व जरूरी है।

उपरोक्त रकबा संयुक्त हिन्दु परिवार की संयुक्त अविभाजित सम्पत्ति है तथा संयुक्त अविभाजित सम्पत्ति होनें के कारण वादी का असमें जन्म से हक व हिस्सा बनता है जिसको वह पानें का अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

लगातार 2

वादी व प्रतिवादीगण नें आपसी प्रेमभाव को कायम रखते हुए हक व हिस्सानुसार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम रकबा का आज से करीबन 5 वर्ष पूर्व घरू बंटवारा कर लिया था इस घरू बंटवारा अनुसार प्रत्येक पक्ष अपनें हक व हिस्सा पर काबिज है व बिना किसी विघन के अपनें हक के रकबा का उपयोग व उपभोग करते आ रहे है।

घरू बंटवारा के अनुसार प्रत्येक पक्ष के हिस्सा में रकबा निम्न प्रकार से आया है :–

1. वादी संख्या 1 हिस्सा :– चक 15 एल.एल.पी. सैकण्ड ए मुरब्बा नम्बर 64 के किला नम्बर 23, 24 में 0.506 हैक्टर मुरब्बा नम्बर 70 के किला नम्बर 1 ता 4, 7 ता 10 सालम 14 में 0.202 हैक्टर नहरी इस प्रकार कुल 1.732 हैक्टर नहरी।
2. प्रतिवादी संख्या 1 ठाणासिंह करा हिस्सा :– मुरब्बा नम्बर 63 के किला नम्बर 25 सालम, मुरब्बा नम्बर 64 के किला नम्बर 21, 22 सालम, मुरब्बा नम्बर 71 के किला नम्बर 5, 6 सालम मुरब्बा नम्बर 63 के किला नम्बर 15, 16 में प्रत्येक में 0.228 नहरी मुरब्बा नम्बर 64 के किला नम्बर 11, 19, 20 सालम कुल 2.480 हैक्टर नहरी।
3. प्रतिवादी संख्या 2 नें जद्दी जायदाद में अपना हक व हिस्सा लेनें से इन्कार कर दिया है इसलिये उनको कोई हिस्सा नहीं दिया गया है।

वादी नें कई बार प्रतिवादीगण से कहा की घरेलु बंटवारा के अनुसार जो रकबा मेंरे नाम आया है उस रकबा को मेरे नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवानें के लिये आप सहमति से ब्यान कर दो ताकि उपरोक्त रकबा राजस्व रिकार्ड में मेरे नाम से दर्ज हो जाये। पहले तो वे आजकल आजकल करते रहे फिर आज से 10 रोज पूर्व स्पष्ट इन्कार हो गये और करनें लगे कि हम तो घरेलु बंटवारा को नहीं मानते और ना ही आपके पक्ष में सहमति के ब्यान करते है तुम्हे जो करना है सो करों बस यहि बिनाय दावा है। जो कि वादी को प्रतिवादीगण के खिलाफ हासिल है।

अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है, कि दावा निम्न प्रकार से डिक्री किया जावे :–

1. घोषित किया जावे कि वाद पत्र की मद संख्या 9 के अनुसार वादी खातेदार काश्तकार है
2. इसी अनुसार खाता तकसीम किया जाकर लगान व आबियाना अलग अलग कायम किया जावे।
3. खर्चा मुकद्मा दिलाया जावे।
4. अन्य कोई न्याय संगत मुझ वादी के पक्ष में हो प्रदान की जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। वादीगण एवम् प्रतिवादीगण के मध्य आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 12.01.2017 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये वादीगण की पहचान श्री पवन शाक्य अधिवक्ता तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 की पहचान श्री हरीश सोनी अधिवक्ता द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया गया।

वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि पक्षकारान का पंचायत वा मौतबिरान लोगो ने राजीनामा करवा दिया है इस राजीनामा के अनुसार अपनें अपनें हक व हिस्सा पर काबिज है राजनामा अनुसार प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के हिस्सा में रकबा निम्न प्रकार से आया है :–

प्रथम पक्ष कुलदीपसिंह का हिस्सा :– चक 15 एल.एल.पी. सैकण्ड ए मुरब्बा नम्बर 64 के किला नम्बर 21, 22, 23, 24 प्रत्येक में 0.506 हैक्टर मुरब्बा नम्बर 70 के किला नम्बर 1 ता 4, 7 ता 10 सालम 14 में 0.202 हैक्टर नहरी इस प्रकार कुल 3.238 हैक्टर नहरी।

लगातार 3

द्वितीय पक्ष ठाणासिंह का हिस्सा :– मुरब्बा नम्बर 63 के किला नम्बर 25 सालम, मुरब्बा नम्बर 71 के किला नम्बर 5, 6 सालम मुरब्बा नम्बर 63 के किला नम्बर 15, 16 में प्रत्येक में 0.228 नहरी मुरब्बा नम्बर 64 के किला नम्बर 11, 19, 20 सालम कुल 1.980 हैक्टर नहरी।

द्वितीय पक्ष जसवीर कौर का हिस्सा :– जसवीर कौर नें जद्दी जायदाद में अपना हक व हिस्सा लेनें से इन्कार कर दिया है इसलिये उनको कोई हिस्सा नहीं दिया गया है।

राज पैरोकार/नायब तहसीलदार हिन्दूमलकोट द्वारा राज्य सरकार की और से जबाब प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि वाद में ठाणासिंह की पत्नी को पक्षकार नहीं बनाया गया है तथा भूमि कर राजीनामा अनुसार भूमि को कम ज्यादा किया गया है जो विभाजन की श्रेणी में नहीं आता है। राजीनाम में अन्तर है अतः राज्य हितो को मध्यनजर रखते हुए निर्णय पारित करनें बाबत निवेदन किया गया।

चुँकि प्रकरण में वादीगण एवम् प्रतिवादी के मध्य राजीनामा पेश होनें से कोई प्रतिवाद नहीं होनें के कारण तनकियात नहीं बनाई गई, वादी द्वारा साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये जिसके अर्न्तगत राजीनामा के बिन्दूओं को ही दोहराया जाकर दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्वान अधिवक्तागणों नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया।

हमने वादीगण एवम् प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि चक 15 एल.एल.पी. सैकण्ड ए की खतौनी संख्या 36/14 के मुरब्बा नम्बर 63 के किला नम्बर 25 मुरब्बा नम्बर 64 के किला नम्बर 21 ता 24 सालम मुरब्बा नम्बर 70 के किला नम्बर 1 ता 4, 7 ता 10 सालम 14/.202 मुरब्बा नम्बर 71 के किला नम्बर 5/.228, 6/.228, कुल 3.947 तथा खतौनी संख्या 37/33 के मुरब्बा नम्बर 63 के किला नम्बर 15, 16 में प्रत्येक में 0.228 हैक्टर नहरी मुरब्बा नम्बर 64 के किला नम्बर 11, 19, 20 सालम कुल 1.215 हैक्टर नहरी भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है। जिसमें वादी एवम् प्रतिवादीगण के मध्य हुए राजीनामा अनुसार वादी को खातेदार घोषित किया जाकर भूमि का उभय पक्ष के मध्य राजीनामा अनुसार भूमि का विभाजन किया जाना न्यायोचित है।

–:: आदेश ::–

वादी एवम् प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर डिक्री जारी की जाती है, कि वादी को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत वादी एवम् प्रतिवादी की अपनी पैतृक सम्पति के सम्बध में राजीनामा में प्रतिवादी संख्या 1 ठाणासिंह पुत्र श्री भागसिंह जाति जटसिख निवासी रोटावाली तहसील सादूलशहर जिला श्रीगंगानगर के नाम से वर्णित भूमि चक 15 एल.एल.पी. सैकण्ड ए की खतौनी संख्या 36/14 के मुरब्बा नम्बर 63 के किला नम्बर 25 मुरब्बा नम्बर 64 के किला नम्बर 21 ता 24 सालम मुरब्बा नम्बर 70 के किला

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

लगातार 4

नम्बर 1 ता 4, 7 ता 10 सालम 14/.202 मुरब्बा नम्बर 71 के किला नम्बर 5/.228, 6/.228, कुल 3.947 तथा खतौनी संख्या 37/33 के मुरब्बा नम्बर 63 के किला नम्बर 15, 16 में प्रत्येक में 0.228 हैक्टर नहरी मुरब्बा नम्बर 64 के किला नम्बर 11, 19, 20 सालम कुल 1.215 हैक्टर में से वादी कुलदीपसिंह पुत्र ठाणासिंह जाति जटसिख निवासी रोटावाली तहसील सादूलशहर जिला श्रीगंगानगर को 3.238 हैक्टर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के तहत भूमि का विभाजन निम्नानुसार किया जाता है :–

1. वादी कुलदीपसिंह पुत्र ठाणासिंह जाति जटसिख निवासी रोटावाली तहसील सादूलशहर जिला श्रीगंगानगर के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
15 एल. एल.पी. सैकण्ड ए	36/14	64	21/.253, 22/.253, 23/.253, 24/.253,	1.012 हैक्टर
		70	1/.253, 2/.253, 3/.253, 4/.253, 7/.253, 8/.253, 9/.253, 10/.253, 14/.202	2.226 हैक्टर
				कुल भूमि :– 3.238 हैक्टर

2. प्रतिवादी संख्या 1 ठाणासिंह पुत्र श्री भागसिंह जाति जटसिख निवासी रोटावाली तहसील सादूलशहर जिला श्रीगंगानगर के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
15 एल. एल.पी. सैकण्ड ए	36/14	63	25/.253,	0.253 हैक्टर
		71	5/.228, 6/.228	0.456 हैक्टर
	37/33	63	15/.228, 16/.228	0.456 हैक्टर
		64	11/.253, 19/.253, 20/.253	0.759 हैक्टर
				कुल भूमि :– 1.924 हैक्टर

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार स्टाम्प डयुटी प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

यह आदेश आज दिनांक 8-5-2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर